कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3/पीजी0–2020/ 1022

लखनऊ:दिनांक 22 जून, 2020

त्याग–पत्र दिये जाने के संबंध मे आवश्यक सूचना

यू0पी0 नीट पी0जी0–2020 की प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से आवंटन प्राप्त प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें आल इण्डिया कोटा की द्वितीय चक्र अथवा अन्य प्रदेश की काउन्सिलिंग के माध्यम से किसी सीट पर आवंटन हुआ है और वह यू0पी0नीट पी0जी0–2020 से प्रवेशित सीट से त्याग–पत्र देना चाहते है, तो वह आल इण्डिया अथवा अन्य प्रदेश की काउन्सिलिंग से आवंटित सीट से संबंधित आवंटन–पत्र प्रस्तुत कर नोडल सेन्टर (जहॉ पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की हो) पर अपना त्याग–पत्र **दिनांक 30.06.2020 तक किसी भी कार्यदिवस में** दे सकते है।

यू0पी0नीट पी0जी0–2020 हेतु नीति निर्धारण विषयक शासनादेश दिनांक 04 मई 2020 मे त्याग–पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में निम्नांकित् व्यवस्था की गयी है:–

- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थियों की जमा **समस्त शुल्क से 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि तथा धरोहर धनराशि (Security Money)** वापस देय होगी।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थियों की जमा **शिक्षण शुल्क से 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि तथा धरोहर धनराशि (Security Money)** वापस देय होगी।
- प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन के पश्चात् यदि अभ्यर्थी द्वारा आवंटित कालेज में प्रवेश ले लिया जाता है तथा अभ्यर्थी को आल इण्डिया/अन्य प्रदेश की काउंसिलिंग से कोई भी आवंटन प्राप्त नहीं होता है, फिर भी अभ्यर्थी निर्धारित तिथि (द्वितीय चक्र की च्वाईस फिलिंग से दो दिन पहले) से पूर्व त्याग–पत्र देता है, तो **ऐसी दशा में जमा की धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जायेगी तथा शिक्षण शुल्क में से 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि** वापस किया जाएगा।

महानिदेशक।